

# Financial & Welfare Assistance Policy

## (सहायता एवं अनुदान नीति)

जारीकर्ता: गुरुक्षेत्र फाउंडेशन

### 1. प्रस्तावना / Preamble

गुरुक्षेत्र फाउंडेशन समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहायता पहुँचाने हेतु प्रतिबद्ध है।

किन्तु संस्था को बार-बार अनावश्यक दबाव, जबरदस्ती अथवा मानसिक उत्पीड़न से बचाने हेतु यह नीति जारी की जाती है।

### 2. पात्रता मानदंड / Eligibility Criteria

1. केवल अत्यंत जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक सत्यापन योग्य व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदक की वार्षिक आय ₹1,00,000 (एक लाख) से कम होनी चाहिए।

3. सहायता उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहाँ –

- जीवन रक्षक इलाज आवश्यक हो,
- शिक्षा हेतु निरंतर सहयोग चाहिए,
- प्राकृतिक आपदा/अत्यधिक कठिन परिस्थिति हो।

4. शादी, मकान निर्माण, व्यक्तिगत व्यवसाय, दहेज, निजी ऋण चुकाने हेतु कोई आर्थिक अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

5. किसी व्यक्ति को एक जीवनकाल में केवल एक बार संस्था से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

### 3. आवेदन प्रक्रिया / Application Process

1. आवेदक को संस्था का आधिकारिक सहायता आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है:
  - पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड)
  - आय प्रमाण पत्र (Tehsildar / SDM द्वारा प्रमाणित)
  - निवास प्रमाण पत्र
  - चिकित्सीय मामलों में – सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट व अनुमानित खर्च का प्रमाण
  - शिक्षा मामलों में – विद्यालय/कॉलेज से शुल्क संरचना व प्रधानाचार्य की अनुशंसा
  - 2 गवाहों का पहचान पत्र व सत्यापन पत्र
3. अधूरे अथवा अपूर्ण दस्तावेज़ वाले आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

### 4. शर्तें एवं नियम / Terms & Conditions

1. संस्था द्वारा सहायता दान की प्रकृति में है, यह कोई अधिकार नहीं है।
2. आवेदन की समीक्षा हेतु संस्था के पास 60-90 दिन का समय होगा; आवेदक को बार-बार कॉल या दबाव डालने की अनुमति नहीं है।
3. एक बार सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
4. यदि कोई आवेदक संस्था को झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या मानसिक दबाव डालता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में वह किसी भी प्रकार की सहायता का पात्र नहीं होगा।
5. संस्था का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
6. किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध संसाधनों एवं प्रबंधन की अनुशंसा पर निर्भर करेगी।

7. लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने के बाद धन/सामग्री का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है।


## 5. पारदर्शिता एवं निगरानी / Transparency & Monitoring

- सभी सहायता आवेदनों का रजिस्टर रखा जाएगा।
- चयनित लाभार्थियों की सूची वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित होगी।
- संस्था समय-समय पर सत्यापन दल भेजकर उपयोग की पुष्टि करेगी।

## 6. निष्कर्ष / Conclusion

☞ “सहायता दया नहीं, जिम्मेदारी है; परंतु यह जिम्मेदारी केवल उन्हीं तक सीमित है जो वास्तविक रूप से पात्र और सत्यापन योग्य हैं।”

- ❖ संस्था सभी जरूरतमंदों तक पहुँचना चाहती है, लेकिन किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव, जबरदस्ती या बार-बार आवेदन करना सख्ती से प्रतिबंधित है।



\*\*\*